

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा
:- कार्यालय आदेश :-

दिनांक : 06.06.2025

क्रमांक : 2025 / 01

माननीय राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(02)न्याय/2023 जयपुर दिनांक 02.06.2025 द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बालोतरा का नवसृजन किया गया है। श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी आदेश क्रमांक 46 दिनांक 23.05.2025 व क्रमांक 47 दिनांक 30.05.2025 के जरिये माह जून, 2025 की अवधि के लिए बालोतरा व बाड़मेर न्यायक्षेत्र के लिए रिमाण्ड ड्यूटी आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश को श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर द्वारा माह जून, 2025 (आदेश की दिनांक से) के लिए बालोतरा न्यायक्षेत्र (फौजदारी मामलों में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक प्रकृति के फौजदारी कार्यों की सुनवाई करने हेतु) की हद तक निरस्त किया गया है।

अतः बालोतरा न्यायक्षेत्र में मुख्य वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद नवसृजन किए जाने से तथा पूर्व में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा जारी, बालोतरा न्यायक्षेत्र के लिए जारी रिमाण्ड आदेश उपरोक्त आदेश अनुसार निरस्त किए जाने से बालोतरा न्यायिक क्षेत्र के लिए फौजदारी मामलों में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक प्रकृति के फौजदारी कार्य की सुनवाई करने हेतु नवीन आदेश जारी किया जाता है।

मैं डॉ. रामचन्द्र चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) एवं तद हेतु प्राधिकृत करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित करता हूँ कि बालोतरा न्यायक्षेत्र में **जून, 2025** के निम्नलिखित राजकीय अवकाशों में बालोतरा मुख्यालय में स्थित न्यायालयों के, यथा विधिनुसार, आपराधिक प्रकरणों में आवश्यक प्रकृति के कार्य, यथा पुलिस अभिरक्षा/न्यायिक अभिरक्षा प्रतिप्रेषण, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु-समीक्षा जाँच एवं अन्य सभी प्रकृति के आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल संबंधी कार्य, उन तिथियों के समक्ष अंकित अधिकारी वर्णित राजकीय अवकाशों की तिथियों को एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्व कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चात्पूर्व कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर ही रहकर उक्त कार्य को उक्त अध्यांकित अधिकारी अपने निवास स्थान पर नियमानुसार सम्पादित करेंगे :-

बालोतरा मुख्यालय :-

क्र.सं.	दिनांक	नाम अधिकारी मय पद
1	07.06.2025 व 08.06.2025	श्री रामचन्द्र चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बालोतरा
2	14.06.2025 व 15.06.2025	श्री दिग्विजय देथा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवाना
3	22.06.2025	श्रीमती सुनिता जिन्दोलिया, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02 बालोतरा
4	28.06.2025 व 29.06.2025	श्रीमती सोनल ललवानी, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा

नोट :- साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी, जिन्हें उक्त अवकाश के दिन उक्तानुसार आवश्यक कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया है, किन्तु वह अपने मुख्यालय पर (उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/रूपांतरित अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध है, तो उनके द्वारा उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के उक्तानुसार ही आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादित करेंगे।

—सही—

(डॉ. रामचन्द्र चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालोतरा।

आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक :- 06.06.2025

क्रमांक :- 25

- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बालोतरा।
- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बालोतरा/संख्या 02 बालोतरा
- न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा/सिवाना/सिणधरी/पचपदरा
- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा

5. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बालोतरा को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करते हुए निर्देशित करावे कि अधिकारीगण के आवासीय परिसर में बिना आज्ञा मुलजिमान को प्रवेश नहीं कराया जावें।
6. आबकारी अधिकारी, बालोतरा को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करते हुए निर्देशित करावे कि अधिकारीगण के आवासीय परिसर में बिना आज्ञा मुलजिमान को प्रवेश नहीं करावा जावें।
7. सहायक निदेशक, अभियोजन, बालोतरा।
8. सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय, बालोतरा, को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. कन्ट्रोल रूम, बालोतरा।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रामचन्द्र चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालोतरा।